उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-24/2022/825/92-2-22-179जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक 22 नवम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-ललितपुर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत निविदा प्रक्रिया में अनियमितता एवं अम्बेडकर कार्यो के निर्माण कार्य कराने हेतु बिड कैपेसिटी से अधिक का कार्य सौपने, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के शासनादेश संख्या-2466/92-1-18-85एम/2014 दिनांक 30.07.2018 के विपरीत निविदा स्वीकार किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मो0 रिजवान साबिर खॉ, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर सम्प्रति प्रखण्ड-महोबा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री मो0 रिजवान साबिर खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-06-2022 को सेवानिवृत्त हो गये है के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र सिंह मौर्य

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2022/825(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रिजवान साबिर खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।